# <u>न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0), बिधूना, औरैया।</u>

**पीठासीन अधिकारी : कुशाग्र मिश्र (उ0प्र0 न्यायिक सेवा) – UP4693**

**<u>मूलवाद संख्या–52 सन 2019</u>**

CNR.No.UPAU120000612019

सुनील कुमार आदि बनाम अनीता देवी आदि।

**<u>दिनांक–10.03.2026</u>**

पत्रावली पेश हुयी। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। पत्रावली वाद वापसी प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु नियत है। प्रतिवादीगण गैर हाजिर हैं, उनकी तरफ से कोई भी आपत्ति वाद वापसी प्रार्थना पत्र के विरूद्ध प्रस्तुत नहीं की गयी है न ही कोई विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। प्रतिवादीगण का उपरोक्त प्रार्थना पत्र के विरूद्ध आपत्ति का अवसर समाप्त किया जाता है।

**<u>निस्तारण वाद वापसी प्रार्थना पत्र दिनांकित 20.01.2026</u>**

वाद वापसी प्रार्थना पत्र पर दिनांक 06.03.2026 को वादीगण की उपस्थिति में तस्दीक किया गया था। इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से वादी पक्ष द्वारा कथन किया गया है कि वादी ने यह वाद प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का दायर किया था। अब प्रतिवादी के खिलाफ कोई वाद कारण नहीं रह गया है। क्योंकि पूर्व में प्रधान ग्राम सभा प्रतिवादिनी अनीता देवी थी। अब ग्राम प्रधान बदल गया है एवं विवादित सम्पत्ति के संबंध में कोई विवाद नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में अब वादी मुकदमा नहीं लड़ना चाहता है और वाद उपरोक्त को वापस किया जाना जरूरी है। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादी के द्वारा नया वाद दायर करने की अनुमति नहीं चाही गयी है। प्रतिवादीगण पत्रावली पर उपस्थित नहीं है और न ही हर्जे हेतु कोई आपत्ति प्रस्तुत की गई है। वादीगण स्वैच्छा से वाद वापस लेना चाहते हैं। ऐसे में वाद को चलाने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। अतः प्रार्थीगण/वादीगण के वाद वापसी प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त है।

## <u>आदेश</u>

प्रार्थीगण/वादीगण का वाद वापसी प्रार्थना पत्र दिनांकित 20.01.2026 स्वीकार किया जाता है। वादीगण को नवीन वाद संस्थित करने का कोई अधिकार नहीं होगा। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

**(कुशाग्र मिश्र)**
**अपर सिविल जज (जू0डि0),**
**बिधूना, औरैया।**
**J.O. Code : UP4693**

**दिनांक 10.03.2026**